

**अनुदान संख्या 56 - लक्षद्वीप**  
**GRANT No. 56 - LAKSHADWEEP**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1199,60,00		
		1235,55,00	1195,92,09	-39,62,91
पूरक	Supplementary	35,95,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			8,68,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	221,90,00		
		221,91,00	87,44,58	-134,46,42
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			115,43,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹3962.91 लाख) मार्च, 2023 में प्राप्त ₹3595.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हए :-

**Notes and comments**

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹3962.91 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹3595.00 lakhs obtained in March, 2023 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -  (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “2202”	Major Head “2202”			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O.	16996.00		
			16219.00	15942.17
				-276.83
पु.	R.	-777.00		
मुख्य शीर्ष “2210”	Major Head “2210”			
चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	7994.00		
			6201.00	6146.43
				-54.57
पु.	R.	-1793.00		
मुख्य शीर्ष “2403”	Major Head “2403”			
पशुपालन	Animal Husbandry			
मू.	O.	1610.00		
			815.00	804.46
				-10.54
पु.	R.	-795.00		
मुख्य शीर्ष “2801”	Major Head “2801”			
विद्युत	Power			
मू.	O.	13605.00		
पू.	S.	3595.00	22564.00	22444.91
पु.	R.	5364.00		-119.09

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष “3052”	Head Major Head “3052”				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	31000.00	27850.00	27014.19	-835.81
पु.	R.	-3150.00			
मुख्य शीर्ष “3053”	Major Head “3053”				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	8074.00	10103.00	9712.81	-390.19
पु.	R.	2029.00			

(I) सोलह शीर्षों के अंतर्गत ₹390.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹390.00 lakhs remained wholly unutilised under sixteen heads.

(II) मुख्य शीर्ष “2202” – “सामान्य – ग्राम पंचायतों को सहायता – पंचायतें” के अंतर्गत – ₹960.50 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने और योजनाओं के पुनर्गठन में देरी के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2202” - “General - Assistance to Gram Panchayats - Panchayats” - saving of ₹960.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in receipt of utilisation certificate from implementing agencies and restructuring of schemes/functions.

(III) मुख्य शीर्ष “2210” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :-

(III) Under Major Head “2210” - savings occurred under the following heads:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल और औषधालय – संस्थागत लागत” – ₹763.03 लाख की बचत (₹2512.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दवाओं और संबद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में देरी, कम संख्या में चिकित्सा पेशेवरों की आउटसोर्सिंग होने और रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(A) “Urban Health Services - Allopathy - Hospital and Dispensaries - Institutional Costs” - saving of ₹763.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2512.00 lakhs) was due to delay in tender process for procurement of medicines and allied items, outsourcing of less medical professionals and non-filling up of vacant posts.

(खा) “ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल और औषधालय – अगत्ती द्वीप पर राजीव गांधी स्पेशलिटी अस्पताल को वित्तीय सहायता” – ₹614.83 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में चिकित्सा पेशेवरों की आउटसोर्सिंग और विभाग द्वारा नियमित कर्मचारी की तैनाती के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2403” – “ग्राम पंचायतों को सहायता – पंचायतें” – के अंतर्गत ₹690.00 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले अनुदान और योजनाओं/कार्यों के पुनर्गठन के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने में देरी के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3052” के – “विदेशी शिपिंग – शिपिंग सेवाएँ – भारतीय शिपिंग निगम” – के अंतर्गत ₹3985.81 लाख की बचत (₹31000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एलडीसीएल से पिछले फंड के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने में देरी के कारण हुई थी।

(VI) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹2014.04 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक शीर्ष में ₹250.00 लाख से अधिक थी लेकिन ₹500.00 लाख से कम थी और जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपरोक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गयीं :-

(का) मुख्य शीर्ष “2801” – “डीजल/गैस बिजली उत्पादन – लक्षद्वीप में बिजली की आपूर्ति – बिजली संयंत्र और सहायक कार्य” – ₹5275.09 लाख का अधिक व्यय (₹3595.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित ₹16979.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली उत्पादन के लिए हाई स्पीड डीजल की खरीद और अधिक चिकित्सा दावों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3053” – हवाई सेवाएँ – “सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों की सहायता – हेली काप्टर सेवाएँ को भुगतान” – ₹1980.00 लाख का अधिक व्यय (₹7000.00 लाख

(B) “Rural Health Services-Allopathy - Hospitals and Dispensaries - Financial Assistance to Rajiv Gandhi Speciality Hospital at Agatti island” - saving of ₹614.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to outsourcing of less medical professionals owing to deployment of regular staff by the department.

(IV) Under Major Head “2403” - “Assistance to Gram Panchayats - Panchayats” - saving of ₹690.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to delay in receipt of utilisation certificate for previous grant and restructuring of schemes/functions.

(V) Under Major Head “3052” - “Overseas Shipping - Shipping Services - Shipping Corporation of India” - saving of ₹3985.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31000.00 lakhs) was due to delay in receipt of utilisation certificate for previous fund from LDCL.

(VI) Under six heads savings of ₹2014.04 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 59 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2801” - “Diesel/Gas Power Generation - Supply of Electricity in Lakshadweep - Power Plant and Ancillary works” - excess of ₹5275.09 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16979.00 lakhs including supplementary grant of ₹3595.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of High Speed Diesel for power generation and receipt of more medical claims.

(B) Major Head “3053” - Air Services - “Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Payment to Helicopter Services” - excess of

का स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तीन हेलीकाप्टरों की तैनाती के लिए पवन हंस लिमिटेड को भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹663.84 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक शीर्ष में ₹250.00 लाख से अधिक था और स्वीकृत प्रावधान का 173 प्रतिशत और 1395 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

₹1980.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment to Pawan Hans Limited for deployment of three helicopters.

(II) Under two heads excess of ₹663.84 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 173 percent and 1395 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services
मू.	O. 2020.00
पु.	R. -1864.00
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health
मू.	O. 6005.00
पु.	R. -4405.00
मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects
मू.	O. 1150.00
पु.	R. -840.00

156.00 147.39 -8.61

1600.00 673.73 -926.27

310.00 304.81 -5.19

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत –  
Saving -

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "5053"	Major Head "5053"				
नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	1500.00	400.00	99.35	-300.65
पु.	R.	-1100.00			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	1500.00	700.00	462.42	-237.58
पु.	R.	-800.00			
(I) दस शीर्षों के अंतर्गत ₹635.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।			(I) Provision of ₹635.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads.		
(II) मुख्य शीर्ष "4070" – "अन्य व्यय – अग्निशमन बल" – के अंतर्गत ₹1472.61 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फायर टैंडरों की खरीद में देरी के कारण हुई।			(II) Under Major Head "4070" - "Other Expenditure - Fire Force" - saving of ₹1472.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in procurement of Fire Tenders.		
(III) मुख्य शीर्ष "4210" – "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ – अस्पताल और औषधालय" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :-			(III) Under Major Head "4210" - "Rural Health Services - Hospitals and Dispensaries" - savings occurred under the following heads:-		
(का) "चिकित्सा उपकरण" – ₹701.76 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एम आर आई स्कैनर और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद में देरी के कारण हुई।			(A) "Medical Equipments" - saving of ₹701.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to delay in procurement of MRI Scanner and other medical equipment.		
(खा) "भवन" – ₹4624.51 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पतालों, नर्सिंग			(B) "Building" - saving of ₹4624.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs)		

और पैरामेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि अधिग्रहण और सिविल कार्यों के निष्पादन में देरी के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “4801” – “डीजल/गैस बिजली उत्पादन – मशीनरी और उपकरण – पावर हाउस” – के अंतर्गत ₹800.50 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डी जी सेट ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण की खरीद में देरी के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “5053” – “एयरपोर्ट – हवाई अड्डे – हवाई अड्डे” – के अंतर्गत ₹1400.65 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हवाई अड्डों और हेलीपैड के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और सिविल कार्यों के निष्पादन में देरी के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “5054” – “जिला और अन्य सड़कें – सड़क कार्य – लिंक सड़कों का निर्माण” – के अंतर्गत ₹1037.58 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण और विभिन्न द्वीपों में सड़कों के सिविल कार्यों निष्पादन में देरी के कारण हुई।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1368.24 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक शीर्ष में ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 52 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक है।

was due to delay in land acquisition and execution of civil works for Hospitals, Nursing and Paramedical Colleges.

(IV) Under Major Head “4801” - “Diesel/Gas Power Generation - Machinery and Equipment - Power House” - saving of ₹800.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to delay in procurement of DG sets, transformers and other equipment.

(V) Under Major Head “5053” - “Airports - Aerodromes - Aerodromes” - saving of ₹1400.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in land acquisition and execution of civil works for expansion of Airports and Helipads.

(VI) Under Major Head “5054” - “District and Other Roads - Road Works - Construction of Link Roads” - saving of ₹1037.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in land acquisition and execution of civil works of roads in various islands.

(VII) Under four heads savings of ₹1368.24 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 52 percent to 98 percent of the sanctioned provision.